# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 9, 1933)

## विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

### 1. जन्म-दिन पर बधाई

अध्यक्ष महोदय तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा सदन की ओर से श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिन के उपलक्ष्य में, बधाई देकर शुभकामनाएं व्यक्त की गईं।

### 2. विशेष-उल्लेख

**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "नदी जोड़ो योजना" पर निर्णय विषयक**

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी "नदी जोड़ो योजना" को स्वीकृति देने के निर्णय का उल्लेख किया।

### 3. वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

### 4. अध्यक्षीय व्यवस्था

**आय-व्ययक में कृषि सेक्टर को पृथकतः दर्शाने विषयक**

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के बिन्दु -5 में शासन द्वारा कृषि केबिनेट का गठन कर, बजट में भी कृषि सेक्टर को प्राथमिकता देकर पृथकत: दर्शाने सम्बन्धी उल्लेख करने पर, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपत्ति व्यक्त की गई। उन्होंने इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 (पृष्ठ 51) तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार (कौल एवं शकधर) के सम्बन्धित प्रावधानों को उद्धरित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कृषि को लाभदायक धंधा बनाने की दृष्टि से यह संविधान सम्मत निर्णय लिया गया है। सदन की पूर्व परम्परा के अनुसार, जल संसाधन विभाग का भी पृथकत: बजट आता रहा है। वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, उनकी अनुमति से ही बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में अध्याय 19 (पृष्ठ 18) तथा पैरा 3 (पृष्ठ 51) के सम्बन्धित प्रावधानों को भी उद्धरित किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - "राज्यपाल की अनुमति और राज्यपाल के निर्देश पर पूर्व में भी जल संसाधन विभाग का बजट अलग से प्रस्तुत किया गया है और आज भी राज्यपाल की अनुमति और निर्देश पर यह प्रस्तुत किया जा रहा है। यह असल में संवैधानिक और नियमानुसार है। इसलिए मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, के प्वाइंट ऑफ आर्डर को अग्राह्य करता हूँ."

### 5. वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक का उपस्थापन (क्रमश:)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पूर्ण किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सायं 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय में देने का समय नियत किया गया है तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 29 फरवरी तथा 1, 2 एवं 13 मार्च, 2012 का समय नियत किया गया है।

मध्याह्न 12.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 10, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**राजकुमार पांडे**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल :**
**दिनांक : 28 फरवरी, 2012**